

विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक हेतु सूचना

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 14) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) और राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 के नियम 4(1) उपबंधों के अनुसार, विद्यालय के प्रबंध की सत्र 2018-19 फीस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और उस पर समुचित विनिश्चय लेने के लिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति की बैठक दिनांक 16/9/17 को सुबह 10:30 बजे विद्यालय प्रांगण में रखी गई है जिसमें आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

SECRETARY  
PARENT-TEACHER ASSOCIATION

- |    |                  |  |  |
|----|------------------|--|--|
| 1. | सुकुल कुमार टाक  |  |  |
| 2. | मीशा             |  |  |
| 3. | पूनम सिंह        |  |  |
| 4. | धनश्याम कुमार    |  |  |
| 5. | रिचा शर्मा       |  |  |
| 6. | प्रतिक्षा वेडोला |  |  |
| 7. | शशिकला टाक       |  |  |
| 8. | ज्योतिका कंडुलना |  |  |
| 9. | हनुमान सिंह जाखर |  |  |